न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 180/2024
अनवान : –
1. श्रवण कुमार पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी ढाणी बैरवाल त0 भादरा।
वादी

बनाम
1. नौरंगराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट तहसील भादरा।
2. मोहरा पत्नी नौरंगराम जाति जाट निवासी ढाणी बैरवाल त0 भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इडिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हनुमान सहारण वादी
श्री सानिध्य डूडी प्रतिवादी

निर्णय
दिनांक: 30/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 4/5 की कुल 5.0600है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक 3 एमएसआर के खाता सं0 9/8 की कुल 0.759है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 4 एमएसआर के खाता सं0 58/3 की कुल 1.2390है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 20/192 की कुल 2.0240है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा तथा इसी चक 1 बीएचपी के खाता सं0 134/191 की कुल 3.1950 है0 प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी श्रवण कुमार पुत्र नौरंगराम द्वारा [illegible] क्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने निवेदन [illegible] वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 4/5 [illegible] कुल 5.0600है0 में प्रतिवादी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

नाम 1/4 हिस्सा, चक 3 एमएसआर के खाता सं0 9/8 की कुल 0.759है0 में प्रतिवादी 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 4 एमएसआर के खाता सं0 58/3 की कुल 1.2390है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 20/192 की कुल 2.0240है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा तथा इसी चक 1 बीएचपी के खाता सं0 134/191 की कुल 3.1950 है0 प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 4/5 की कुल 5.0600है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक 3 एमएसआर के खाता सं0 9/8 की कुल 0.759है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 4 एमएसआर के खाता सं0 58/3 की कुल 1.2390है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 20/192 की कुल 2.0240है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा तथा इसी चक 1 बीएचपी के खाता सं0 134/191 की कुल 3.1950 है0 प्रतिवादी सं0 1 नौरगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 नौरगराम के वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 पत्नी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 4/5 की कुल 5.0600है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक 3 एमएसआर के खाता सं0 9/8 की कुल 0.759है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 4 एमएसआर के खाता सं0 58/3 की कुल 1.2390है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 20/192 की कुल 2.0240है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा तथा इसी चक 1 बीएचपी के खाता सं0 134/191 की कुल 3.1950 है0 प्रतिवादी सं0 1 नौरगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम अकेले की बजाए वादी श्रवण कुमार प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम व प्रतिवादी सं0 मोहरा को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी न्यायालय (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 180/2024

अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र नौरगराम जाति जाट निवासी ढाणी बैरवाल त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. नौरंगराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट तहसील भादरा।
2. मोहरा पत्नी नौरगराम जाति जाट निवासी ढाणी बैरवाल त0 भादरा।
3. स्टेट बैक ऑफ इडिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री हनुमान सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री सानिध्य डूडी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं0 4/5 की कुल 5.0600है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा, चक 3 एमएसआर के खाता सं0 9/8 की कुल 0.759है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 4 एमएसआर के खाता सं0 58/3 की कुल 1.2390है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम तथा इसी प्रकार चक 1 बीएचपी के खाता सं0 20/192 की कुल 2.0240है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा तथा इसी चक 1 बीएचपी के खाता सं0 134/191 की कुल 3.1950 है0 प्रतिवादी सं0 1 नौरगराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम अकेले की बजाए वादी श्रवण कुमार प्रतिवादी सं0 1 नौरंगराम व प्रतिवादी सं0 मोहरा को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner